मुख्यमंत्री ने 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के प्रारूप का किया अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

14 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के लिये 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के प्रारूप का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- इस योजना से मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के युवा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। साथ ही युवाओं के शिक्षित होने से परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा तथा समुदाय का सामाजिक उत्थान भी होगा।
- प्रारूप के अनुसार, योजना में 2.50 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले मिरासी (ढाढ़ी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के विद्यार्थी पात्र होंगे।
- इसमें कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक के 2000 विद्यार्थियों को 5000 से 20000 रुपए तक प्रति शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये विभिन्न कार्यों की घोषणा की थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-minister-approved-the-format-of-post-matric-scholarship-scheme